न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर समक्ष मनोज गोयल अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 7022—पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 5—3—2015 पारित द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला इंदौर, प्रकरण कमांक 137/बी—103/2011—12/33.

श्रीमती क्षिप्रा अग्रवाल पति श्री संदीप अग्रवाल, निवासी पीली कोठी रोड, रीवा भगवानसीत भण्डार के पास रीवा

...आवेदिका

विरुद्ध

श्रीमती गायंत्रीदेवी पति श्री श्यामसुन्दर अग्रवाल, निवासी मकाम नम्बर 449 सर्वसम्पन्न नगर, कनाडिया रोड, इंदौर

....अनावेदिका

श्री बृजेन्द्र द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदिका श्री भुवन देशमुख, अभिभाषक, अनावेदिका

ः आदेशः

(आज दिनांक 8/6//> को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (जिसे संक्षेप में ''अधिनियम'' कहा जायेगा) की धारा 56 के अंतर्गत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला इंदौर द्वारा पारित आर्देश दिनांक 5—3—2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प इंदौर के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके द्वारा आवेदिका के स्वत्व का भूखण्ड कमांक 181 ग्राम खजराना तहसील व जिला इंदौर स्थित रूप्ये 7.00.000/- में क्य किया जोकर अनुबंध पत्र निष्पादित कराया गया है । उक्त अनुबंध

Mar.

पत्र पर 5.5 प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क देय था, परन्तु अनावेदिका को जानकारी नहीं होने से 100 / - रुपये के स्टाम्प पर निष्पादित कराया गया है । अतः उक्त अनुबंध पत्र पर मुद्रांक शुल्क निर्धारित कर कमी मुद्रांक शुल्क जमा कराने के आदेश दिये गये । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण दर्ज दिनांक 5-3-15 को आदेश पारित किया जाकर रुपये 52,000 / - मुद्रांक शुल्क निर्धारित किया गया एवं 1,000 / - रुपये शास्ति अधिरोपित की गई । इस प्रकार कुल रुपये 53,000/- जमा करने के आदेश दिये गये । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा आवेदिका को सूचना एवं सूनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन विकय अनुबंध पत्र फर्जी है और उसे कब और किस दिनांक को निष्पादित किया गया इस पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा वर्ष 2009 में प्रचलित गाईड लाईन के अनुसार बाजार मूल्य निर्धारित किया गया है जबकि वर्ष 2012 में प्रचलित गाईड लाईन के अनुसार बाजार मूल्य निर्धारित करना था । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा विधिवत संपत्ति का स्थल निरीक्षण किये बिना आदेश पारित किया गया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है ।

- 4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा विधिवत् स्थल निरीक्षण किया जाकर मुद्रांक शुल्क अधिरोपित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा व्यवहार वाद कमांक 36-ए/2013 में पारित आदेश दिनांक 31-10-2015 से विकय पत्र को वैधानिक एवं उचित मानकर अनावेदिका के पक्ष में डिकी पारित की गई है इसलिये भी यह निगरानी निर्थक होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।
- 5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संबंध में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के समक्ष प्रकरण में विधिवत् प्रकिया का पालन करते हुये आदेश

कर्म

पारित नहीं किया गया है । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के प्रकरण को देखने से यह भी स्पष्ट होता है कि उनके समक्ष एक ही पक्षकार द्वारा दोनों तरफ से कार्यवाही किया जाना प्रतीत होता है । प्रकरण से यह भी स्पष्ट है कि आवेदिका को सही पते पर सूचना पत्र की तामीली नहीं कराई जाकर अनावेदिका के पते पर ही तामील कराई गई है जिसे विधिवत् तामील होना मान्य नहीं किया जा सकता है । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा प्रश्नाधीन संपत्ति का बाजार मूल्य भी सही अवधारित नहीं किया गया है अतः इस प्रकरण में विधि एवं न्याय की दृष्टि से यह आवश्यक है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः विधिवत् कार्यवाही कर आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाये । 6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–3–2015 निरस्त किया जाता है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में आदेश पारित करने हेतु प्रकरण कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को प्रत्यावर्तित किया जाता है।

off

(मनोज गोयल) अध्यक्ष राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर